

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

13/12 पन्नावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा
न्यायिक कार्य समाप्त/प्रतिष्कार रखने
से पन्नावली दिनांक/दिनांक को पेश हो।

16/12 पन्नावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा
न्यायिक कार्य समाप्त/प्रतिष्कार रखने
से पन्नावली दिनांक/दिनांक को पेश हो।

27-12-20 पन्नावली पेश हुई, वकील प्राणीगण उपस्थित, विपक्षीय
के लगभग बाद लगभग होकर जात हुए जिले शां प्र किये
गये। विपक्षीय को हिलनी बार कक-कक कर थापाणे डिवाइस
उताने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक बयान कार्य
दिये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्राणीगण का
पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय सुधर से लिखा
जाकर शां प्र किया गया। पन्नावली फैलल थुगर होकर
नबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकार- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

क्रमांक- 239/22 प्रा.पत्र

कन्हैयालाल जे. उ. गारचन्द पाट निवासी- गोफलपुर, तहसील- माण्डल [वर्ग 3]

-प्रार्थी

बनाम

1. जे. व्ही. श्री कल्याण पाट निवासी- मोलियास तहसील- माण्डल [वर्ग 3]
(सुबोधित शांति संस्थान)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक - 27.12.22


::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन
क ग्राम...मोलियास...पटवार हल्का...गारचंदी...तहसील माण्डल में उसके
पुक्त खाते की आराजी नं. 260/1 कुल किता 01 रकबा 0.2909
स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह- नहीं होने से आये
गा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की
। के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.11.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का
री हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते
सर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...मोलियास...पटवार
गारचंदी...तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 260/1
किता...01...रकबा...0.2909...हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी
जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख
तक...सोपा...को...500/-रुपये/- कमीशनर फीस पर कमीशनर फीस जमा होने
क्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार
र पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

लिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
थगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा